पशुओं की टक्कर से मौत होने पर परविार को मलिेंगे 5 लाख रुपए

चर्चा में क्यों?

11 सतिंबर, 2023 को हरयिाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के झिंझौली स्थति साधना केंद्र में आयोजति अल्पकालीन वस्तिारक प्रशक्षिण वर्ग कार्यक्रम में राज्य में सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं की टक्कर से होने वाली मौत पर प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ति परविार को 5 लाख रुपए तक की आर्थकि सहायता दयि जाने की घोषणा की।

प्रमुख बदिु

- इन बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाकर गोशाला व नंदीशाला में पहुँचाया जाएगा, इसके लयि अभयिान चलाया जा रहा है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेत में कसिान की मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से परविार को 5 लाख रुपए और कृषि कार्य के दौरान अंग भंग होने पर भी आर्थकि सहायता दी जाती है।
- इस वर्ष कसिानों को 75 फीसदी अनुदान पर 50 हज़ार सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दयि गए हैं। अगले वर्ष उनकी संख्या बढ़ाकर 70 हज़ार की जाएगी।
- वदिति है कि हरयिाणा देश का एकमात्र राज्य है जो कसिानों की एक दर्जन से अधकि फसलों को एमएसपी पर खरीदता है। फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी वरिासत योजना से कसिानों को आर्थकि रूप से मजबूत कयिा जा रहा है।
- प्रदेश सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मासकि वेतन 6 से बढ़ाकर 11 हज़ार रुपए कयिा है। वहीं आकस्मकि मृत्यु पर परविार को 5 लाख रुपए और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता की तर्ज पर सेवानवृित्ति पर एकमुश्त 2 लाख रुपए का लाभ दयिा जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/in-case-of-death-due-to-collision-with-animals,-the-family-will-get-rs-5-lakh